न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2018

1.	जयगोपाल	पिसरान अमीचन्द जाति अरोड़ा निवासी 30 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जरिये मुखत्यारआम राजकुमार पुत्र बिहारी लाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 23 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2.	कुशालचन्द	
3.	विनोद	
4.	वर्षा	
5.	दर्शना	
6.	बलदेव	

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन घड़साना मु0अनूपढ दिनांक 30.06.82

उपस्थितिः–

श्री राजीव जग्गा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन घड़साना मुकाम अनूपगढ़ ने अपीलांट के पिता को दिनांक 18.06.1976 को 24 बीघा भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए दिनांक 28.06.1981 को चक 2 एफ एम के पत्थर नम्बर 168/41 में 15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन को दिनांक 30.06.1982 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवंटी द्वारा बावजूद सूचना प्राप्त किये कब्जा प्राप्त नहीं किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

23/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 26.12.2002 को हो गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट या उनके पिता को नोटिस की कोई तामील नहीं हुई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अन्यथा वैकल्पिक आवंटन करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात् विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जिसकी सूचना समाचार पत्र में दी गई। उसके बावजूद भी आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2018 को पेश की है। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में अकित किया है कि सार्वजनिक सूचना दैनिक सीमा संदेश के माध्यम से दिनांक 28.05.1982 को जारी करवाई गई, किन्तु समाचार की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है,. न ही इस संबंध में आदेशिका में कोई इसका उल्लेख है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण या उनके पिता को होना संभव नहीं है। अतः विलम्ब को माफ किया जाना न्यायोचित है।

विवादित भूमि किसी अन्य को आवंटन हो चुकी होगी। अपीलांट का भी ऐसा कथन नहीं है कि उसका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त हो। इसके अलावा

23/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (उप.)

अपीलांट के पिता को विवादित भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए ही विवादित भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त पात्रता किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण वैकल्पिक आवंटन का मानते हुए विधि अनुसार अपीलांट की पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर